3

बर व
काम
न की
जार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : दिवांशु शर्मा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 140/2019 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री छोगालाल ब्राह्म्ण नि0 बालेसरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भैरूलाल पुत्र श्री छोगालाल ब्राह्म्ण नि0 बालेसरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—————प्रार्थी गण

बनाम

1. सत्यनारायणसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह राजपुत नि0 बालेसरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती मूलकंवर पत्नी श्री जवाहरसिंह राजपुत नि0 बालेसरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. भंवरसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह राजपुत नि0 बालेसरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.) विलोपित किया
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. बैक ऑफ बडोदा शाखा धुंवाला तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक

—————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –
1. श्री अरूणचन्द्र देराश्री (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री कृष्णकुमार जीनगर विपक्षी संख्या 01 , 02
3. पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 4

निर्णय

दिनांक 29–10–20

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 08.08.2019 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा बालेसरिया पटवार मण्डल बालेसरिया तहसील बनेडा स्थित खाता संख्या 27 का आराजी नम्बर 602 , 603 , 604 , प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता ज़ाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 561 के मेर के सहारे–सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षी संख्या 01 से 02 की और से अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार जीनगर द्वारा वकालात नामा प्रस्तुत किया व दिनांक 29.10.2020 को जवाब प्रार्थनपत्र का जवाब पैश किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया । एंव विपक्षी संख्या 03 का नाम विलोपित किया गया एंव मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बनेडा से यह सपष्ट है कि अप्रार्थी की आराजी न0 561 रकबा 6.07 बीघा मे से 0–03 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है जो निम्न है –

1. प्रार्थी की खातेदारी मे पहूंचने हेतू गत 25–30 वर्षो से उक्त आराजी नं0 561 का रास्ते के लिए उपयोग करते आ रहे है किन्तू वर्तमान में उक्त प्रस्वावित आराजी मे रास्ते का उपयोग नही किया जा रहा है क्योकी खातेदारन को श्री सत्यनारायण पिता जवाहरसिंह मूलकंवर बेवा जवाहरसिंह उरजणकंवर बेवा नाथूसिंह राजपूत निवासी बालेसरिया के डराने से रास्ता का उपयोग नही कर रहे है ।

2. प्रार्थी को उक्त खातेदारी मे पहूचने हेतू कोई रास्ता रेकार्ड मे दर्ज नही है तथा न ही वैकल्पिक रास्ता है ।

3. ग्राम बालसरिया की आराजी नं0 561 रकबा 6.07 बीघा भूमि किस्म बी.ब. खातेदार सत्यनारायण पिता जवाहरसिंह मूलकंवर बेवा जवाहरसिंह उरजणकंवर बेवा नाथूसिंह राजपूत निवासी बालेसरिया के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमे से 0–03 बीघा किस्म बीड बंजड भूमि रास्ते हेतू चाही गई है ।

4. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 31489/– प्रति बीघा से 0–03 बीघा भूमि की मालियत 4724/– रूपये बनती है ।

मेने पत्रावली का उद्योपान्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 16 फिट का रास्ता चाहा गया था। परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा बालेसरिया के आराजी न0 561 रकबा 6.07 बीघा मे से 0–03 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है । एंव मौजा बालसेरिया के आराजी न0 561 रकबा 6.07 बीघा मे से 0–03 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है । मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित उक्त 0–03 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जाने योग्य है । मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बालेसरिया पटवार मण्डल बालसेरिया तहसील बनेडा स्थित खाता संख्या 27 का आराजी नम्बर 602 , 603 , 604 मे पहुंचने हेतू ग्राम बालसेरिया के आराजी न0 561 रकबा 6.07 बीघा मे से 0–03 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0–01 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

नहापपणा,